

10-4-18 पत्रकर्ता पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
 अपीलार्थी/रेस्पोंडेण्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष  
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं श्रीमान् बीकरीन  
 अधिवक्ता द्वारा पर ~~पत्रकारों पर है/अन्य~~ कागुन ~~व्यवस्था~~  
 कार्यों में व्यस्त है/का स्थानापन्न हो गया है।  
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-5-18  
 को पेश हो।

रीडर

8-5-18 पत्रकर्ता पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
 अपीलार्थी/रेस्पोंडेण्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष  
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं श्रीमान् बीकरीन  
 अधिवक्ता द्वारा पर ~~पत्रकारों पर है/अन्य~~ कागुन ~~व्यवस्था~~  
 कार्यों में व्यस्त है/का स्थानापन्न हो गया है।  
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-5-18  
 को पेश हो।

रीडर

14-5-18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
 कैम्प नारायणपुर पर पेश हुई। लैण्ड होल्डर तदसी ~~रीडर~~  
 व प्रतिवादी श्रीलाल उपस्थित हैं। पत्रकारों ने  
 राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि  
 अप्राथी श्रीलाल उमाद में विवादित भूमि  
 जिस पर टावर लगा हुआ है का संपरिवर्तन  
 5.00.00 सां के यहाँ से करवा लेगा। यदि अप्राथी  
 उमाद में इस काकत कोई कार्यवाही न करे तो  
 विवादित भूमि को सिवायचक भूमि के रूप में  
 सरकारी भूमि दर्ज कर दी जावे।

श्रीलाल


प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर  
 प्रकरण का निर्णय कर आदेश दिया जाता है कि  
 प्रतिवादी श्रीलाल पुत्र औरया जाति भीना  
 द्वारा उसकी स्वातेदारी भूमि ख० नं० 346 रकबा  
 0.12 हे० ग्राम नारायणपुर में जितने रकबे पर


तारीख  
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

न  
अ  
हुक

मोवाइल टावर लगाया है उसका वह ससम अधिकारी को भूमि कपातरण उ माह में करवा लेवे । तीन माह में भूमि कपातरण नहीं करवाने पर उपरोक्त भूमि का ~~रकबा~~ रकबा नं० २५६/०-१३ ग्राम नारायणपुर का वह रकबा जिस पर मोवाइल टावर लगा हुआ है, सिवायक भूमि के रूप में दर्ज कर <sup>अप्रार्थिकी</sup> रकबा से कम कर दिया जावे। पत्रावली फैसलामुख होकर नम्बर से कम हो एवं ताद तकमील कार्रवाई दफतर हो।

  
(रवि कुमार शर्मा)  
रिजिस्ट्रार  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

  
(सतीश कुमार शर्मा)  
रिजिस्ट्रार  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

  
(आनूप कुमार)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

यालय उपखंड :  
(पीठासीन अ  
सीन अधिकारी:-

होल्डर तहसीलदार  
पुत्र भोरया मीन

क्रमा नं. - 26/20  
वादी की ओर  
प्रतिवादी श्रीलाल  
पीठासीन अधिकारी)  
पर डिक्री दी जाती है  
लोक अदालत

ग्राम नारायणपुर  
ह की अवधि में व  
उपरोक्त वर्णित भूमि  
सिवायक के रूप में  
खर्चा पक्षकार  
यह आस. ता



वादी के लिए  
पत्र के लि  
के लिए  
रुपये  
के लि  
की प  
की